महामण्डल पुस्तिका-माला । नं० ३०२

धर्मसेवाकी प्रणाली ।

श्रीमहामण्डलके धर्मप्रचारकों और

धर्मसेवकोंकी—

पथप्रदर्शिका पुस्तिका ।

(Guide Book)

प्रकाशक

श्रीभारतधर्ममहामण्डल,

प्रधान कार्यालय, काशी ।

सन् १९३३ ई० ।

ॐ तत्सत् ।

धर्मसेवाकी प्रणाली ।

श्रीमहामण्डलके धर्मप्रचारकों और धर्मसेवकोंकी पथप्रदर्शिका पुस्तिका—(Guide-Book)

उद्देश्य ।

१—श्रीभारतधर्ममहामण्डल सनातनधर्मियोंकी रक्षाके निमित्त विराट् धर्मसभा है। उसका कार्यक्षेत्र सारा भारतवर्ष ही नहीं है, किन्तु सारे संसारमें जहां जहां अपने विचारके मनुष्य हैं, वहां सर्वत्र है। अतः सनातनधर्मी समाजमें स्वधर्मप्रचार और समाजसंघटनका स्थायी उद्योग होना।

२—धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और विद्यासम्बन्धी उन्नतिके विचारसे रचनात्मक कार्योंमें सहायता देनेके निमित्त प्रत्येक नगर और प्रत्येक बड़े गांवमें श्रीभारतधर्ममहामण्डलके धर्मसेवकों और धर्मवक्ताओंकी आवश्यकता है। उनके कार्योंमें उचित परामर्श देना।

३—इस समय पृथिवीव्यापी आर्थिक क्लेश और भारतवर्षमें अन्न तकका क्लेश सब ओर दिखायी देता है। बेकारीकी तो सीमा ही नहीं है। इस कारण ऐसे लोगोंके लिये श्रीभारतधर्ममहामण्डल जैसी स्वजातीय

विराट् सभासे संयुक्त होकर अपने अपने वासस्थानमें रहते हुए अथवा अपने ही इलाकेमें घूमते हुए अथवा श्रीमहामण्डलके प्रधानकार्यालय, प्रान्तीय केन्द्र या शाखासभाओंकी आज्ञाके अधीन होकर भ्रमण करते हुए यथेष्ट धनोपार्जनका उपाय निर्देश करना।

४—चाहे पुरुष हो या स्त्री, चाहे विद्वान् हो, चाहे केवल बुद्धिमान् हो, चाहे वक्ता हो, चाहे कर्मी हो, सब श्रेणीके स्वदेशहितैषी और आजीविकाकी इच्छा रखनेवाले व्यक्तियोंके लिये इस समय ऐसा सुगम मार्ग निकाल देनेकी आवश्यकता है, जिससे सब लोग एकाधारमें अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष प्राप्त कर सकें। इस पथप्रदर्शिका पुस्तिकाके अनुसार दृढ़व्रत होकर काम करते रहनेपर वे धर्मसेवाका यश प्राप्त कर सकेंगे। उनकी आशासे अधिक वे धनोपार्जन कर सकेंगे। धर्मसेवा और स्वसमाजसेवा द्वारा धर्मोपार्जन कर सकेंगे और यदि साथ ही साथ निष्काम लोकसेवा और निष्काम धर्मसेवारूपी कर्मयोगका कुछ भी अभ्यास करते रहेंगे, तो मोक्षमार्गमें भी अपने आप अग्रसर होते रहेंगे। इस कारण ऐसे धर्मकार्यसे चतुर्विध पुरुषार्थसिद्धिका अनायास सुभीता करना।

यथेष्ट अर्थोपार्जनका उपाय।

१—श्रीभारतधर्ममहामण्डल एक सार्वजनिक संस्था है। इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ बाधा नहीं देता है। इस कारण यह सर्वहितकारी है। दूसरी ओर विना अर्थके

इस अर्थप्रधान युगमें न किसी व्यक्तिका काम चल सकता है, न किसी सभाका काम चल सकता है। अतः श्रीमहामण्डलके धर्मकार्यों के निमित्त अर्थसंग्रह करते समय धर्मसेवाका पुण्यलाभ करते हुए निम्नलिखित कार्योंसे सब सज्जन प्रतिमास सैकड़ों रुपयोंतक धन उपार्जन कर सकते हैं और उनकी धनोपार्जनकी शैली यह होगी कि, उनसे धर्मसेवाका जो जो कार्य लिया जायगा, उसमें उनको १०) रु० सैंकड़ा, २५) रु० सैंकड़ा, ३३) रु० सैंकड़ा और ५०) सैंकड़ा तक पारतोषिक दिया जायगा।

२—श्रीभारतधर्ममहामण्डलके साधारण सभ्य २) रु० साल देनेसे हिन्दु स्त्री पुरुष मात्र हो सकते हैं। साधारण सभ्यको एक मासिक पत्र, जिसका मूल्य वार्षिक ३) रु० है, बिनामूल्य दिया जाता है तथा उनको और भी अनेक लाभ प्राप्त होंगे, जिनका विवरण स्थानान्तरमें दे दिया गया है। इस कारण साधारण मेम्बरोंको उनके सालाना चन्देसे कई गुना लाभ पहुंचता है। दूसरी ओर हमारे धर्मसेवकोंको साधारण सभ्यके प्रथम वार्षिक चन्देका आधा अर्थात् ५०) रु० सैंकड़ा अर्थात् २) में १) पारितोषिक रूपसे दिया जायगा।

३—श्रीभारतधर्ममहामण्डलके अन्य प्रकारके सभ्य भी हैं। जिनके नाम और वार्षिक चन्दा नीचे लिखा जाता है। यथाः—(क) संरक्षक सभ्य—१००) रु० वार्षिक। (ख) विशिष्ट प्रतिनिधि सभ्य—२५) रु०

वार्षिक। (ग) प्रतिनिधि सभ्य—१०) रु० वार्षिक और (घ) सहायक सभ्य—५) रु० वार्षिक। इन सब प्रकारके सभ्योंके बढ़ानेमें तथा उनके नये चन्देके संग्रह करनेमें २५) रु० से ५०) रु० सैंकड़ा तक पुरस्कार दिया जायगा।

४—श्रीमहामण्डलके पूर्वोक्त सब श्रेणीके सभ्योंके पुराने चन्देके संग्रह करनेमें १०) रु० से २५) रु० सैंकड़ा तक पारितोषिक दिया जायगा।

५—श्रीमहामण्डलके शास्त्रप्रकाशन विभाग, भारत-धर्मसिण्डिकेट लिमिटेडके द्वारा प्रकाशित नाना धर्मग्रंथ, अपूर्व धर्मसाहित्य और उसके बुकडिपोके अन्यान्य ग्रंथोंके ग्राहक संग्रह करनेमें धर्मसेवकोंको १०) रु० से लेकर ५०) रु० सैंकड़ा तक पारितोषिक दिया जायगा।

६—श्रीभारतधर्ममहामण्डलकी सहायतासे समाज-हितकारीकोष अर्थात् आल इण्डिया म्यूचुअल बेनीफिट सोसाइटी नामक एक स्वतन्त्र रजिस्टर्ड संस्था कायम की गयी है। उसके मेंबर बिना कुछ दिये श्रीमहामण्डलके चन्दादाता सब मेम्बरमात्र हो सकते हैं। उनको इस सोसाइटीसे लाभ उठानेके लिये स्वतन्त्र वार्षिक चन्दा देना नहीं पड़ता है। केवल उनको शादी-फण्ड और गमी-फण्डका अलग अलग चन्दा देना पड़ता है और एक मेंबर जितने चाहे उतने अपने परिवारके स्त्री-पुरुष, बालक-बालिकाओंके नाम दर्ज कराके उनकी शादी और गमीके समय यथेष्ट धनका लाभ कर सकता है। जिसकी

विस्तृत नियमावली अलग प्रकाशित हुई है। हमारे धर्म-सेवकगण इस कोषके स्थायी एजेण्ट बन कर ५०) रु० सैंकड़ा तक पारितोषिक प्राप्त कर सकते हैं और पीछे स्थायी रूपसे ३=) सैंकड़ा अपनी आयुपर्यन्त पारितोषिक पानेके अधिकारी बने रहते हैं।

७—श्रीभारतधर्ममहामण्डलके द्वारा महामण्डल-डाइरेक्टरी नामक एक वार्षिक पुस्तक निकलती है। जो प्रत्येक हिन्दु गृहस्थके घर घरमें पहुंचनेके योग्य है। उसका मूल्य बहुत ही नाममात्र है। प्रत्येक नगर और प्रत्येक ग्राममें उसका प्रचार करके और उसके लिये विज्ञापन संग्रह करके धर्म-सेवकगण १०) रु० से २५) रु० सैंकड़ा तक पारितोषिक प्राप्त कर सकते हैं।

८—श्रीभारतधर्मसिण्डिकेट लिमिटेडके द्वारा बीस लक्ष रुपयेके १०) १०) रु० वाले दो लक्ष बाण्ड निकाले जानेका प्रबन्ध हो रहा है। जिसको हरएक धर्मावलम्बी स्त्री-पुरुष खरीद सकता है। उस बाण्डके खरीदनेवालोंको थोड़ा सूद अलग मिलेगा और अन्य उपायसे हर साल बीस रु० से लेकर दस हजार रु० तक इनाम मिलनेका मौका दिया जायगा। इसकी नियमावली अलग मिलेगी। इस बाण्डकी बिक्रीके काममें भी हमारे धर्म-सेवकगण यथेष्ट पारितोषिक प्राप्त कर सकेंगे।

९—श्रीभारतधर्ममहामण्डलकी छोटी-छोटी धर्मपुस्तिकायें, जिनका मूल्य)। या)॥ पैसा होगा और जिनके द्वारा धर्म-प्रचार, समाज-सुधार, जातीय संघटन और विद्याप्रचार

आदि अनेक लाभ प्रजाको मिलेंगे, ऐसी पुस्तिकाओंका प्रचार करके हमारे धर्मसेवक ५०) रु० सैंकड़ा पारितोषिक प्राप्त कर सकेंगे ।

१०—श्रीमहामण्डलका एक स्वतन्त्र विभाग है, जिसका नाम वर्णाश्रमसंघ है। वर्णाश्रमधर्मी प्रजाका संघटन इसका प्रधान उद्देश्य है। उक्त संघका मेंबर वर्णाश्रमी स्त्री-पुरुष मात्र हो सकता है। उसको एकवार केवल ।) चार आना देकर मेंबर होनेका प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है। इस चन्देमेंसे २५) रु० सैंकड़ा धर्मसेवकोंको मिलेगा और २५) रु० सैंकड़ा उस स्थानकी धर्मसभाको उसके धर्म-कार्योंके व्ययके लिये मिलता है ।

११—श्रीभारतधर्ममहामण्डलके अष्टम महाधिवेशनमें यह निश्चय हुआ है कि, प्रत्येक हिन्दु गृहस्थ अपने घर पीछे १) रु० साल अखिलभारतवर्षीय संस्कृतविश्वविद्यालयका पोषक सभ्य बनकर दिया करेगा। उनको इसका मानपत्र मिलेगा। यह गृहस्थोंके प्रतिघरका चन्दा वसूल करके धर्मसेवकगण स्थायीरूपसे यथेष्ट धनोपार्जन कर सकते हैं ।

१२—इसके अतिरिक्त श्रीमहामण्डलके अखिलभारत-वर्षीय संस्कृतविश्वविद्यालयका संस्कृत मुखपत्र सूर्योदय, आर्यमहिला-हितकारिणी महापरिषद्का मुखपत्र आर्यमहिला और श्रीमहामण्डलसे सम्बन्धयुक्त अनेक अंग्रेजी और हिन्दी सामयिकपत्रोंका प्रचार करके तथा विज्ञापन संग्रह करके और इसी प्रकारसे अनेक धर्मकार्य करके हमारे धर्म-सेवकगण

यथेष्ट धन लाभ कर सकते हैं। धनोपार्जनके और भी कई कार्य हैं, जो उनको सौंपे जा सकते हैं। प्रार्थनापत्र भेजें।

धर्मसेवक होनेकी योग्यता।

१—सभी नर-नारी श्रीभारतधर्ममहामण्डलके धर्मसेवक या धर्मसेविकाका कार्य अनायास कर सकते हैं। जो बेकार हैं, जिनको घरका काम करके कुछ फुरसत मिलती है, स्कूल और पाठशालाओंके शिक्षकगण, सरकारी अन्य विभागोंके कर्मचारीगण, जिनको अवकाश रहता है; संस्कृत और हिन्दीके पण्डितगण, पुरोहित और कथावाचकगण, सभी और यहां तक कि, रेल तथा अन्यत्र चलते फिरते सभी लोग अनायास धर्मसेवकोंका कार्य करके यथेष्ट अर्थ और पुण्य कमा सकते हैं।

२—यह धर्मसेवाका काम धनसंग्रहके साथ सम्बन्ध रखता है। इस कारण प्रत्येक धर्मसेवक और प्रत्येक धर्मप्रचारकको कुछ जमानतका प्रबन्ध करना होगा। क्योंकि रसीदबही, पुस्तकें आदि उनके पास रहेंगी और उनको धनसंग्रह करके भेजना होगा। परन्तु वर्तमान अर्थक्लेशकी दशामें सब लोग आर्थिक जमानत नहीं दे सकते। इस कारण जमानतके लिये भी सुगम उपाय निकाला गया है। धर्मप्रचारक और धर्मसेवकगण, जिनको समाजहितकारीकोषका मेम्बर होना होगा, अखिलभारतवर्षीय संस्कृतविश्वविद्यालयका मेम्बर होना होगा, महामण्डलका किसी श्रेणीका मेम्बर होना होगा और भारतधर्म सिण्डिकेटलिमिटेड् द्वारा निकाले हुए कुछ बाण्ड ख़रीदने

होंगे। उनको एक स्वीकारपत्र हस्ताक्षर करके देना होगा और धर्मसेवक और धर्मप्रचारकसम्बन्धी जो नियम हैं या होंगे, उनका पालन करना होगा।

प्रचारविभागकी कार्यशृंखला।

१—धर्मसेवकों और धर्मप्रचारकोंके अतिरिक्त श्रीभारत-धर्ममहामण्डल मासिक वृत्ति देकर प्रान्तीय प्रबन्धकर्ता-आरगनाइज़र-और उसके अधीन सहायक-पदधारी नियुक्त करेगा। परन्तु जो धर्मसेवक मासिक वृत्ति न लेकर यह कार्य करना चाहेंगे, वे भी कर सकेंगे।

२—प्रान्तीय आर्गनाइज़रोंके कर्तव्योंका दिग्दर्शन नीचे किया जाता है।

(क) वे व्यक्ति प्रत्येक जिलेमें जाकर अथवा प्रथम किसी प्रान्तके किसी किसी प्रधान जिलेमें जाकर वहांके प्रधान व्यक्तियोंसे मिलकर कमसे कम प्रत्येक जिलेमें अथवा प्रत्येक नगरमें एक धर्मसेवक रखनेके लिये किसी एक रईससे प्रबन्ध करावें। तदनन्तर वह धर्मसेवक अपने आप ही यथेष्ट धन-उपार्जन करके स्थायी कार्य कर सकेगा।

(ख) उनको परिचयपत्र आदि देकर सहायता की जायगी। वे आर्गनाइजर प्रत्येक जिलेके जिला-धर्मसेवकोंका संग्रह करते रहेंगे, जबतक सब जिलोंका प्रबन्ध न हो जाय।

(ग) उसी प्रकार वे प्रत्येक नगर और बड़े ग्राममें स्थानीय धर्मसेवक संग्रह करनेका भी प्रबन्ध करेंगे।

(घ) जहां तक सम्भव हो, प्रथम प्रत्येक जिलेमें धर्म-सेवकके लिये उसी जिलेसे उनको खर्चा संग्रह करनेका प्रयत्न करना होगा।

(ङ) जहां जावेंगे वहांकी धर्मसभा, पोषकसभा और धर्मसम्बन्धी अन्यान्य कमेटियोंको शृङ्खलाबद्ध करनेका वे प्रयत्न करेंगे।

(च) उस प्रान्तमें श्रीमहामण्डलकी सभ्यसंख्या-वृद्धि और श्रीमहामण्डलका पुराना चन्दावसूली और नवीन चन्दा-दाताओंका संग्रह वे करते रहेंगे और ऊपरलिखित सब कार्य करते रहेंगे तथा अपने जिलोंके धर्मसेवकोंसे कराते रहेंगे।

(छ) इसके अतिरिक्त वे धर्मशिक्षाविभागका भी कार्य करते रहेंगे और दोनों विभागोंके वे प्रान्तीय भ्रमणकारी प्रतिनिधि समझे जावेंगे।

(ज) प्रत्येक जिलेमें जो जिलेका धर्मसेवक रहेगा, उसको आज्ञा देकर और कार्य सिखाकर प्रान्तीय आर्गनाइजर प्रत्येक ग्राम और नगरमें स्थानीय धर्मसेवकोंके द्वारा संघटनके विभिन्न काय महामण्डलके नियमानुसार कराते रहेंगे और सबकी निगरानी रक्खेंगे।

३—इस प्रकारके भ्रमणकारी आर्गनाइजर जितने होंगे, उनको भारतसम्राट् ट्रस्टके जो गवर्नमेन्ट अफ़सर ट्रस्टी रहेंगे, उनसे जिलेके अफ़सरोंके नाम चिट्ठी दिलवानेका प्रबन्ध होनेसे इस कार्यविभागमें सुभीता हो सकेगा। उन जिलोंमें भ्रमणकारी—प्रान्तीय आर्गनाइजरोंको हर तरहकी मदद इससे मिल सकेगी। इस प्रबन्धके द्वारा वहांके

रईसोंकी भी सहानुभूति प्राप्त हो सकेगी। दूसरी ओर ऐसे भ्रमणकारी आरगनाइजरोंको यदि प्रधानसभापति महाराजाधिराज अथवा श्रीमहामण्डलके अन्य उच्चपदाधिकारीगण यथायोग्य स्थानके लिये पत्र देकर सहायता करेंगे तो बहुत कुछ कार्य हो सकेगा। ऐसे पत्रोंका स्थायी मसौदा बना दिया जायगा, जिसके अनुसार आर्गनाइजरोंको मदद पहुंचायी जायगी।

४—स्थानीय संघटन तथा ज़िलेके संघटन करनेवाले प्रतिनिधि और भ्रमण करनेवाले प्रान्तीय धर्मसेवक, तीनों प्रकारके काम करनेवालोंके लिये कार्यप्रणालीकी पुस्तक (गाइड बुक) समय समयपर बना दी जायगी और उनकी सहायताके लिये सर्कुलर आदि छपाकर भी भेजे जायंगे। उनको प्रधान कार्यालयमें समय समयपर बुलाकर कुछ प्रारम्भिक शिक्षा भी दे दी जायगी, जिसमें वे अच्छी तरह धर्मसेवा कर सकें।

५—प्रचारविभाग अर्थात् पब्लिसिटीविभागके धर्मकार्यको अग्रसर करनेके लिये शिक्षित धर्मोपदेशकों और यथायोग्य पुस्तक-पुस्तिकाओं तथा सरकुलर, पत्र, लीफलिट आदिकी जो आवश्यकता होगी, उसका प्रबन्ध प्रधान कार्यालयसे हो सकेगा। प्रधान कार्यालयमें पुस्तक-पत्रोंका मसाला इतना तैयार है कि, जैसा जैसा आवश्यक होगा, तुरन्त ही प्राप्त होगा और विशेष विशेष धर्मसेवक और धर्मोपदेशक भी थोड़े ही समयमें तैयार करके बनारससे भेजे जा सकेंगे।

६—प्रत्येक स्थानमें ग्राम अथवा नगरमें अथवा प्रत्येक छोटे जिलेमें जैसा जहां सम्भव हो, जो स्थानीय धर्मसेवक या पूर्वकथित भ्रमणकारी प्रान्तीय आर्गनाइजर अथवा जिला धर्मसेवकगण सनातनधर्मके संघटनका कार्य करेंगे, उनके कार्योंका दिग्दर्शन नीचे कराया जाता है ।

(क) श्रीमहामण्डलकी पुस्तकोंकी सहायतासे धर्म-प्रचार और स्थायी संघटनका कार्य करेंगे ।

(ख) श्रीमहामण्डलकी पुराणसीरिजकी सहायतासे पुराण-प्रचारका कार्य करेंगे ।

(ग) श्रीमहामण्डलकी पुस्तक-पुस्तिकाओंका अधिक से अधिक प्रचार करेंगे, उससे कुछ अपने लिये भी आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे ।

(घ) श्रीमहामण्डलकी सब तरहकी सभ्यसंख्या बढ़ावेंगे और अन्यान्य धर्मकार्य करेंगे, जैसा कि, ऊपर लिखा गया है, उससे यथेष्ट आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे ।

(ङ) प्रान्तीय आर्गनाइजर, जिला धर्मसेवक और स्थानीय धर्मसेवक सहमत होकर समय-समयपर स्थानीय अधिवेशनोंका प्रबन्ध करेंगे और उनके लिये प्रधान कार्यालयसे धर्मोपदेशक, धर्मपुस्तक, परिचय पत्र आदिकी सहायता लेंगे ।

७—इस प्रकारकी शृङ्खला और संघटनके कार्यके निरीक्षण और सम्हालके लिये श्रीमहामण्डलके अवैतनिक और प्रतिष्ठित पदाधिकारिगण समय समयपर अपनी

इच्छासे संचार किया करेंगे, और उनके भेजनेका प्रबन्ध श्रीभारतधर्ममहामण्डल प्रधान कार्यालय करेगा ।

धर्मशिक्षाविभागकी कार्यशृंखला ।

१—धर्मवक्ताओं और धर्मसेवकोंके द्वारा इस विभागका कार्य भी सुगमतासे हो सकता है ।

२—अपने विश्वविद्यालयके इस समय ८० से ऊपर हिन्दुस्थानभरमें परीक्षाकेन्द्र हैं । वे इन परीक्षाकेन्द्रोंको उत्तम रीतिसे संघटित करके धर्मशिक्षाके उपयोगी परीक्षायें उन केन्द्रोंमें जारी करा सकेंगे और क्रमशः परीक्षाकेन्द्रोंकी संख्या भी बढ़ा सकेंगे ।

३—बहुतसे स्कूल और कालेजोंके अधिकारियोंने श्रीमहामण्डलके लिखनेपर अपनी अपनी संस्थाओंमें नियमितरूपसे धर्मशिक्षा देनेकी इच्छा प्रकट की है । हरएक शिक्षासंस्थामें यदि धर्मसेवकगण घूमघूम कर प्रयत्न करें, तो वहां धर्मशिक्षाका नियमित प्रबन्ध हो सकेगा और ऐसे ही मनुष्य भेजकर अथवा पत्राचारसे अनेक स्कूल कालेज इस व्यवस्थामें सम्मिलित किये जा सकेंगे । प्रचार विभागके संगठनके लिये भ्रमणकारी योग्य व्यक्तियोंकी जैसी आवश्यकता, है, वैसे ही इसके लिये भी है । परन्तु योग्य व्यक्ति धर्मसेवक पदपर नियुक्त होनेपर वह नियमित भ्रमण करता हुआ धर्मप्रचार विभाग और धर्मशिक्षा विभाग दोनोंका कार्य कर सकता है और धर्मप्रचारकगण इस धर्मकार्यमें हमारा हाथ बंटा सकते हैं ।

४—हमारे विश्वविद्यालयकी बी० डी० सी० परीक्षा

बिना व्ययके जारी हो सकती है और उससे पहलेहीसे अभी बहुत कुछ कार्य शुरू हो सकता है। हरएक स्कूल और कालेजमें हमारे धर्मसेवक और धर्मप्रचारक इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

५—स्कूलों और कालेजोंमें विश्वविद्यालयोंकी ओरसे वार्षिक परीक्षा लेनेका जो नियम बनाया गया है, वह छात्रवृत्ति यथेष्ट संख्यामें देनेकी शक्ति हमा रे विश्वविद्यालयमें होनेपर देशभरमें धार्मिक शिक्षाके विस्तारका सुगम उपाय हो सकता है। और इसके लिये अभीसे धर्मसेवकगण अपने अपने स्थानोंमें या जहां वे भ्रमण करें, सब स्कूल और कालेजोंमें परीक्षा केन्द्र खुलवा सकेंगे।

श्रीमहामण्डलके सभ्योंको लाभ।

(क) उनको ३) रुपया साल मूल्यका एक द्विभाषाका मासिक पत्र विना मूल्य मिलेगा।

(ख) उनको स्व-धर्म और स्व-जाति उन्नतिकारी अनेक पुस्तिकायें विना मूल्य प्राप्त होंगी।

(ग) उनको स्वधर्म सम्बन्धीय, और स्वसमाज सम्बन्धीय कोई भी शंका हो सो मालूम होनेपर भारतधर्ममें उसका उत्तर प्रकाशित करके उनको सहायता दी जायगी।

(घ) मेम्बरोंके परिवारमें जितने स्त्री-पुरुष-बालक बालिका हों, वे विना वार्षिक चन्दा दिये अखिल भारतवर्षीय-म्यूचुअल बेनीफिट फण्ड सोसाइटी "शादी फण्ड" और "गमी फण्ड" से फायदा उठा सकते हैं। जिसमें हज़ार रुपया तक सहायता देनेका नियम रक्खा गया है।

(ङ) वे एक अखिल भारतवर्षीय-स्वजातीय महासभाकी संघशक्तिको बढ़ाकर धर्म और यश प्राप्त करेंगे। और एक अति सुन्दर मानपत्र उनको प्राप्त होगा।

विशेष निवेदन।

ऊपर लिखित पथप्रदर्शिका नियमावलीके पाठ करनेसे प्रत्येक बुद्धिमान् व्यक्ति समझ सकेगा कि, श्रीभारतधर्ममहामण्डलने एक ओर धर्मशिक्षा, धर्मप्रचार और समाजसंघटनके नाते कैसे सुगम नियम स्वजातीय रचनात्मक कार्यके लिये बनाये हैं। दूसरी ओर सब श्रेणीके रोजगार तलाश करनेवालों और परिश्रम करके अधिक धन संग्रह करनेकी इच्छा करनेवालोंके लिये कैसा सुगम मार्ग बता दिया है। इसके अतिरिक्त श्रीमहामण्डलके साधारण सभ्य और उसकी समाजहितकारी कोषकी उपकारिता सर्वोपरि है। विशेषतः बाईस करोड़ हिन्दुओंमेंसे लाख दो लाख साधारण सभ्योंका संग्रह हो जाना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम और नगरमें एक दो धर्मसेवकोंके लिये और बड़े बड़े नगरों और जिलोंमें १०–५ धर्मसेवकोंके लिये काम करनेका स्थान यथेष्ट है। इस प्रकार सैंकड़ों व्यक्ति जातिसेवा, देशसेवा और धर्मसेवा नियमित करते हुए उन्हें १००) ५०) माहवार कमा लेना ऊपरके नियमोंके अनुसार बहुत ही सुगम है। धर्मसेवामें गुंजाइश बहुत है और कार्यक्षेत्रमें भी गुंजाइश बहुत है। इस प्रकार एकाधारमें धन और धर्म प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले आवेदन भेजते रहें।